



## सरकारी प्रतभूतियाँ

### प्रलिस के लयि:

सरकारी प्रतभूतियाँ, [भारतीय रज़िरव बैंक \(RBI\)](#), [राजकोषीय घाटा](#), ट्रेज़री बलि (टी-बलि), [ओपन मार्केट ऑपरेशंस](#) (खुले बाज़ार संचालन)

### मेन्स के लयि:

सरकारी प्रतभूतियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास एवं रोज़गार से संबंधित मुद्दे।

[स्रोत: द हट्टि](#)

## चर्चा में क्योँ?

सरकार ने चालू वतित वर्ष 2023-24 के लयि [सरकारी प्रतभूति](#) उधार पूरा कर लयि है और उसे वतित वर्ष 25 (FR 25) में [भारतीय रज़िरव बैंक](#) से वतित वर्ष 24 के समान ही लाभांश की आशा है।

- उधार लेने के प्रतसरकार का दृष्टिकोण सतर्क रहता है, वह वविकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि उधार वास्तविक ज़रूरतों के अनुरूप हो।
- G-Sec उधार का पूरा होना, RBI से लाभांश आय की अपेक्षाओं के साथ मलिकर, राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ व्यय लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों को दर्शाता है।

## RBI द्वारा सरकार को अधशेष हस्तांतरित करने को कौन-से नयिम नयित्तरति करते हैं?

- RBI भारतीय रज़िरव बैंक अधनयिम, 1934 की धारा 47 (अधशेष लाभ का आवंटन) के अनुसार अपना अधशेष सरकार को हस्तांतरित करता है।
  - **वाई.एच.मालेगाम (2013)** की अधयक्षता में RBI बोर्ड की एक तकनीकी समिति, जसिने भंडार की प्रयाप्तता एवं अधशेष वतरण नीति की समीक्षा के अनुरूप सरकार को उच्च हस्तांतरण की सफ़ारिश की।
- इस खंड में कहा गया है कि RBI, आरक्षित एवं बनाए रखे गए राजस्व की अनुमत देने के बाद अतरिकित राशसरकार को हस्तांतरित करता है।
- हस्तांतरित राश विभिन्न कारकों के आधार पर नरिधारित की जाती है, जसिमें घरेलू एवं वदिशी प्रतभूतियों की होल्डगिस पर ब्याज, इसकी सेवाओं से शुल्क तथा कमीशन, वदिशी मुद्रा लेन-देन से लाभ के साथ-साथ सहायक कंपनयिों एवं सहयोगयिों से रटिरन जैसे स्रोतों से RBI की आय शामिल है।
  - व्यय में, **RBI मुद्रा नोटों की छपाई, जमा तथा उधार पर ब्याज का भुगतान**, कर्मचारयिों के वेतन एवं पेंशन, कार्यालयों तथा शाखाओं के परिचालन व्यय साथ ही आकस्मकित्ताओं व मूल्यहरास के प्रावधान जैसी लागतें वहन करता है।

## सरकारी प्रतभूतियाँ (G-Sec) क्या हैं?

- परिचय:
  - सरकारी प्रतभूति (G-Sec) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित (Instrument) है।
  - G-Sec एक प्रकार का ऋण साधन है जो सरकार द्वारा अपने [राजकोषीय घाटे](#) के वतितपोषण हेतु जनता से धन उधार लेने के लयि जारी कयिा जाता है।
    - ऋण लेख एक वतितयि साधन है जो जारीकर्त्ता द्वारा नरिदषिट तथिपर धारक को एक नशिचति राशि, जसि मूलधन अथवा अंकित मूल्य के रूप में जाना जाता है, का भुगतान करने के लयि संवदिात्मक दायतिव का प्रतनिधितिव करता है।
  - यह सरकार के ऋण दायतिव को स्वीकार करता है।

- ऐसी प्रतभूतियाँ **अल्पावधि** (आमतौर पर राजकोष/खजाना बलि कहलाती हैं, एक वर्ष से कम की मूल परपिक्वता के साथ- वर्तमान में तीन अवधियों में जारी की जाती हैं अर्थात् 91-दनि, 182 दनि और 364 दनि) अथवा **दीर्घावधि** (जैसे आमतौर पर **सरकारी बॉण्ड या दनिांकति** कहा जाता है, एक वर्ष अथवा उससे अधिक की मूल परपिक्वता वाली प्रतभूतियों) की होती हैं।
- भारत में केंद्र सरकार **राजकोष बलि (Treasury Bill)** और **बॉण्ड अथवा दनिांकति प्रतभूतियाँ** दोनों जारी करती है, जबकि **राज्य सरकारें केवल बॉण्ड** या दनिांकति प्रतभूतियाँ जारी करती हैं, जनिहें **राज्य वकिस ऋण** कहा जाता है।
- **G-Sec** में **व्यावहारिक रूप से डफाल्ट का कोई जोखमि नहीं होता है** और इसलिये ये **जोखमि मुक्त श्रेष्ठ प्रतभूति लिखित** (Risk-Free Gilt-Edged Instruments) कहलाते हैं।
  - श्रेष्ठ प्रतभूति, **उच्च-श्रेणी के नविश बॉण्ड** हैं जो सरकारों और बड़े नगिमाँ द्वारा ऋण ग्रहण करने के साधन के रूप में प्रसतुत किये जाते हैं।
- **सरकारी प्रतभूतियों के प्रकार:**
  - **राजकोष बलि (T-बलि):**
    - राजकोष/ट्रेज़री बलि **शून्य कूपन प्रतभूतियाँ** हैं और उन पर **कोई ब्याज प्रदान नहीं किया जाता है**। इसके अतरिकित उनहें **छूट पर जारी** किया जाता है और परपिक्व होने पर **इनका मोचन (Redeem) अंकति मूल्य पर किया जाता है**।
  - **नकद प्रबंधन बलि (CMBs):**
    - वर्ष 2010 में भारत सरकार ने RBI के परामर्श से भारत सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी वसिगतियों का समाधान करने के लिये एक नया **अल्पकालिक साधन** पेश किया जिसे **CMB** के रूप में जाना जाता है।
      - CMBs में सामान्यतः T-बलि के समान वशिषताएँ होती हैं कति यह 91 दनिों से कम की परपिक्वता अवधि के लिये जारी किया जाता है।
  - **दनिांकति G-Sec:**
    - दनिांकति G-Sec ऐसी प्रतभूतियाँ हैं जनिमें **एक नशिचति अथवा असथरि (Floating) कूपन दर (ब्याज दर)** होती है जिसका भुगतान अंकति मूल्य पर अर्द्ध-वार्षिक आधार पर किया जाता है। दनिांकति प्रतभूतियों की अवधि सामान्यतः **5 वर्ष से 40 वर्ष तक** होती है।
  - **राज्य वकिस ऋण (SDL):**
    - राज्य सरकारें भी बाज़ार से ऋण लेती हैं जनिहें **SDL** कहा जाता है। **SDL**, केंद्र सरकार द्वारा जारी दनिांकति प्रतभूतियों के लिये आयोजति नीलामी के समान सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी दनिांकति प्रतभूतियाँ हैं।
- **जारी करने का तंत्र:**
  - RBI धन की आपूर्ति की स्थतिको समायोजति करने के हेतु G-secs की बकिरी या खरीद के लिये **खुला बाज़ार परचालन** आयोजति करता है।
    - RBI द्वारा ससिटम से तरलता को हटाने हेतु जी-सेक की बकिरी की जाती है और ससिटम में तरलता बढ़ाने के लिये जी-सेक को वापस खरीदा जाता है।
  - बैंकों को उधार देना जारी रखने की अनुमति देते हुए **मुद्रासफीतको संतुलति करने हेतु इन कार्यों को अक्सर दैनिक आधार** पर किया जाता है।
  - RBI वाणजियकि बैंकों के माध्यम से खुला बाज़ार परचालन (OMO) आयोजति करता है और जनता के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता है।
  - RBI ससिटम में रुपए की मात्रा और कीमत को समायोजति करने हेतु **रेपो दर, नकद आरक्षति अनुपात तथा वैधानकि तरलता अनुपात** जैसे अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों के साथ OMO का उपयोग करता है।

## T-बलिों की खुदरा बकिरी और खरीद:

- **खरीद की वधि:** खुदरा नविशक सीधे **टी-बलि खरीदने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक ऑनलाइन रटिल डायरेक्ट गलिट (RDG)** खाता खोल सकते हैं। इसके अतरिकित वे चुनदि बैंकों और पंजीकृत प्राथमकि एजेंटों के माध्यम से बोली लगा सकते हैं।
- **खरीद के लिये पोर्टल:** RBI द्वारा प्रदान किया गया **रटिल डायरेक्ट गलिट (RDG)** प्लेटफॉर्म खुदरा नविशकों हेतु टी-बलि की खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- **खरीद और बकिरी के संबंध में नयिम:** खुदरा नविशकों को टी-बलि खरीदते और बेचते समय कुछ नयिमों तथा वनियिमों का पालन करना चाहिये। इसमें न्यूनतम नविश राशिकी **आवश्यकता (वभिनिन अवधियों के लिये प्रतलिाँट 10,000 रुपए) को पूरा करना** और RBI दशिा-नरिदेशों का अनुपालन सुनिशिचति करना शामिल है।
- **प्राथमकि बाज़ार में भागीदारी:** खुदरा नविशक पहले उल्लिखति नरिदषि्ट चैनलों के माध्यम से टी-बलि के लिये बोली लगाकर **प्राथमकि बाज़ार में भाग ले सकते हैं**। इससे उनहें भारत सरकार की ओर से सीधे RBI से नए जारी किये गए टी-बलि खरीदने की अनुमति मिलती है।
- **द्वितीयक बाज़ार में भागीदारी:** खुदरा नविशक **अपने डीमैट खातों के माध्यम से T-बलि के लिये द्वितीयक बाज़ार में भी भाग ले सकते हैं**। द्वितीयक बाज़ार में, नविशक अपनी परपिक्वता तथिसिसे पहले T-बलि खरीद और बेच सकते हैं, जसिसे चल नधि तथा व्यापार के अवसर मिलते हैं।

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न**

**??/??/??/??/??/??/??/??/??/??:**

**प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, 'खुला बाज़ार प्रचालन' कसिं नरिदषिट करता है? (2013)**

- (a) अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना
- (b) वाणजियकि बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना
- (c) RBI द्वारा सरकारी प्रतभूतियों का क्रय और वक्रिय
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**उत्तर: (c)**

**प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा/से गैर-वत्ततीय ऋण में सम्मलिति है? (2020)**

- 1. परवारों का बकाया गृह ऋण
- 2. क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि
- 3. राजकोष बलि

**नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**

- ब्याज के साथ ऋण यानी मौद्रकि कर्ज़/उधार चुकाना संवदिात्मक दायतिव है ।
- **गैर-वत्ततीय ऋण**
  - इसमें सरकारी संस्थाओं, परवारों और व्यवसायों द्वारा जारी क्रेडिट उपकरण शामिल हैं जो कवत्ततीय क्षेत्र में शामिल नहीं हैं ।
  - इसमें औद्योगकि अथवा वाणजियकि कर्ज़, राजकोषीय बलि (ट्रेज़री बलि) और क्रेडिट कार्ड शेष (Balance) शामिल हैं ।
  - वे बड़े पैमाने पर वत्ततीय ऋण के समान हैं, इस अपवाद के साथ कि गैर-वत्ततीय संस्थाएँ उन्हें जारी करती हैं । अतः कथन 1, 2 और 3 सही हैं ।
- **अतः वकिल्प (d) सही उत्तर है ।**

**प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)**

- 1. भारतीय रज़िर्व बैंक भारत सरकार की प्रतभूतियों का प्रबंधन और सेवाएँ प्रदान करता है, लेकनि कसिी राज्य सरकार की प्रतभूतियों का नहीं ।
- 2. भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेज़री बलि) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष-पत्र जारी नहीं करती ।
- 3. कोष-पत्र ऑफर अपने समतुल्य मूल्य से बटटे पर जारी कयि जाते हैं ।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (c)**